



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 504]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 22, 2017/फाल्गुन 3, 1938

No. 504]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2017/PHALGUNA 3, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2017

का.आ. 567(अ).—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 (2006 की 34) की धारा 43 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) की अधिसूचना संख्या का.आ. 3648(अ), दिनांक 6 दिसम्बर, 2016 में निम्नलिखित संसोधन करता है, अर्थात्:—

सारणी में,

1. उत्तरी क्षेत्र से संबन्धित क्रम सं. 'क' में, हरियाणा के अंतर्गत, क्रम सं. 11 के पश्चात्, संबन्धित स्तंभों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्,—

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"12.	आईडीएमए प्रयोगशाला लिमिटेड, पंचकुला पंजीकरण संख्या 44/एन/एफएसएसएआई/2017 आईडीएमए कॉम्प्लेक्स: 391, औद्योगिक क्षेत्र- फेज I, पंचकुला-134113, हरियाणा	रासायनिक जैविक";

2. पश्चिम क्षेत्र से संबन्धित क्रम सं. 'ख' में, मध्य प्रदेश के अंतर्गत, क्रम सं. 4 के पश्चात, संबन्धित स्तंभों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्,—

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"5.	एक्सीलेंट बायो रिसर्च सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर पंजीकरण संख्या 35/डब्ल्यू/एफएसएसएआई/2017 1370, नेपर टाउन, जबलपुर- 482001, मध्य प्रदेश	रासायनिक जैविक";

3. दक्षिण क्षेत्र से संबन्धित क्रम सं. 'ग' में, तमिलनाडु के अंतर्गत, क्रम सं. 14 के पश्चात, संबन्धित स्तंभों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्,—

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"15.	चेन्नई टेस्टिंग लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई पंजीकरण संख्या 44/एस/एफएसएसएआई/2017 ए-सुपर 19, टी.वी.के. औद्योगिक क्षेत्र, गुंडी, चेन्नई -600032, तमिलनाडु	रासायनिक जैविक
16.	सीवीआर लैब्स (पी.) लिमिटेड, चेन्नई पंजीकरण संख्या 45/एस/एफएसएसएआई/2017 डीगनीटी सेंटर, द्वितीय तल, न्यू नं. 2/9, ओल्ड नं.21, अब्दुल रजाक स्ट्रीट, साईदापेट, चेन्नई- 600015, तमिलनाडु	रासायनिक जैविक"।

[फा. सं. 11/202/एलएवी आरईसी/क्यूए/एफएसएसएआई/2016]

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 3648(अ), दिनांक 6 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th February, 2017

**S.O. 567(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendment in the notification number S.O. number 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 6<sup>th</sup> December, 2016, namely:—

In the table,

1. in Sr. No. 'A' related to NORTHERN REGION, under *Haryana*, after serial number 11, the following entries shall be inserted in respective columns, namely,—

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"12.	<b>Idma Laboratories Ltd, Panchkula</b> Reg. No. 44/N/FSSAI/2017 Idma Complex: 391, Industrial Area-Phase I, Panchkula – 134 113, Haryana	Chemical Biological";

2. in Sr. No. 'B' related to WESTERN REGION, under *Madhya Pradesh*, after serial number 4, the following entries shall be inserted in respective columns, namely,—

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“5.	<b>Excellent Bio Research Solutions Pvt. Ltd., Jabalpur</b> Reg. No. 35/W/FSSAI/2017 1370, Napier Town, Jabalpur – 482 001, Madhya Pradesh	Chemical Biological”;

3. in Sr. No. 'C' related to SOUTHERN REGION, under *Tamil Nadu*, after serial number 14, the following entries shall be inserted in respective columns, namely,—

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“15.	<b>Chennai Testing Laboratory Private Limited, Chennai</b> Reg. No. 44/S/FSSAI/2017 A-Super 19, T.V.K. Industrial Estate, Guindy, Chennai – 600 032, Tamil Nadu	Chemical Biological
16.	<b>CVR Labs (P) Limited, Chennai</b> Reg. No. 45/S/FSSAI/2017 Dignity Centre, 2nd Floor, New No. 2/9, Old No. 21, Abdul Razack Street, Saidapet, Chennai – 600 015, Tamil Nadu	Chemical Biological”.

[F. No [11/202/LAB REC/QA/FSSAI/2016]

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), *vide* S.O. number 3648(E), dated the 6<sup>th</sup> December, 2016.